Review of Research
International Online Multidisciplinary Journal

ISSN 2249-894X Impact Factor : 3.1402 (UIF) Volume - 5 | Issue -5 | Feb - 2016

महिला स्वाबलम्बन

श्रीमती कीर्ति आनन्द
असिस्टेट प्रोफेसर, (समाजशास्त्र) प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय, जलालाबाद, शाहजहाँपुर.

सारांश–

समाज के विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से प्रभावी तरीका कुछ नहीं हैं। दुनिया की ४० प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। ''महिला सशक्तिकरण'' की आठवें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में प्रमुखतः से शामिल किया गया है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि ''जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती तब तक विश्व कल्याण की महिलाओं की कोई संभावना नहीं है। पक्षी के लिए एक ही पंख से उड़ना संभव नहीं है।''

महिला विकास एवं आर्थिक सुधार द्वारा ही समाज सशक्त हो सकता है। स्वयं प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ''एक राष्ट्र हमेशा ही अपने यहाँ की महिलाओं से सशक्त बनता है। वह माँ, बहन और पत्नी की भूमिकाओं में अपने नागरिकों का पालन-पोषण करती है और तब जाकर ये सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं।'' महिलाएँ स्वास्थ्य शिक्षा, की बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ उसे और बेहतर बना रही हैं।

प्रस्तावना / परिचय–

प्रत्येक देश की आधी आबादी मलिलाओं पर आधारित होती है। लेकिन यह एक विडंबना ही है कि समाज में महिलाओं की की स्थिति अत्यंत विरोधाभासी रही है। शिक्षा से वंचित वर्गो में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। विभिन्न योजनाओं द्वारा केन्द्र एवं राज्यों ने महिलाओं के आत्म-विश्वास च आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना का प्रयास किया है। समाज राजनीति व अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करने हेतु कार्यक्रम चलाये गये। सूचना, ज्ञान, कौशल, शिक्षा, द्वारा आर्थिक स्वावलंबन स्थापित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्तमान में कोई क्षेत्र हो या शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवा (नौकरी) सेना स्वास्थ्य अथवा सामाजिक समस्याओं को दूर करने हेतु विभिन्न समितियों का गठन हो, प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है तथा सकारात्मक परिवर्तन हुए। महिलाओं की सशक्तता हेतु स्वास्थ्य, शिक्ष, अर्थव्यवस्था, प्रशासन हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वातावरण को सक्षम बना रहे हैं। सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता, खेती, सुरक्षा तथा निजी एवं परम्परागत कानूनों की समीक्षा करने तथा महिलाओं हेतु अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षा एवं सशक्तता-

शिक्षा ने महिलाओं को बहुत अधिक सशकत बनाया है और महिलाएँ जहाँ शिक्षित हुई हैं, वहाँ सबसे तेज गति से सशक्तिकरण हुआ है। इससे महिलाओं को विवाह मातृत्व और कैरियर के बारे में फैसले लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है। शिक्षा ने विवाह से इतर अवसरों के बारे में जागरूकता उत्पन्न की है, स्त्री को आर्थिक स्वतंत्रता, घरेलू हिंसा से छुटकारा, सरकारी नीतियों में प्राथमिकता एवं सामाजिक अधिकार दिये हैं।

शिक्षा द्वारा ही महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में समान दर्जा एवं राष्ट्रीय गतिविधियों में सहभागिता की भावना विकसित की गई। शैक्षिक उपलब्धियों द्वारा ही महिलाओं ने तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल हासिल किया है। आज भी कई क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली लोगों में कई महिलाएँ हैं। जिनमें इन्द्रान्यी, किरण मजूमदार शा और चन्दा कोचर के नाम से प्रमुख है जहाँ भारतीय वायुसेना में भावना कंठ, अवनि चतुर्वेदी और मोहना सिंह ने परचम लहराया वहीं स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बाद १०ॉ४ के गणतन्त्र दिवस पर सेना के तीनों अंगो थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना की पूरी महिलाओं की भी टुकड़ी शामिल थी। महिलाएं अपनी शिक्षा एवं शक्ति से यह हासिल कर सकीं। ये महिलाएं महिला विकास के परे सोचने और महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रही हैं।

उत्तम शिक्षा एवं दक्षता प्रदान करने के लिए सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम लागू किये। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्ष का अधिकार अधिनियम १००८ लागू किया गया। जिसके द्वारा सर्वे शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सर्व व्यापक बनाने का काम शुरू किया गया। इससे देष के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्कूलों दाखिला मे वृद्धि तथा स्कूल छोड़ने

में कमी आई। सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है पढ़े भारत बढ़े भारत। इसके द्वारा कक्षा एक या कक्षा दो के बच्चों को पढ़ने, किसी भाषा में अनुच्छेद लिखने और गणित का स्तर ज्ञान विश्वस्तरीय हो। इसके द्वारा प्रत्येक स्कूल में ७०० शिक्षण घण्टे तथा १०० स्कूली दिवस अवश्य हो। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को उच्च शिक्षा के समग्र विकास मे लागू किया जा रहा है एवं शिक्षा ऋण हेतु प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके द्वारा विद्यार्थी जानकारियां हासिल कर सकते हैं और बैंको द्वारा प्रदान किये जाने वाले शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आर्थिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण-

महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वन किया गया। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जहाँ एक ओर ग्रामीण महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराई है। वहीं उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए सशकत बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत योजना द्वारा बेटियों की शिक्षा एवं आर्थिक मजबूती को बेहतर बनाया तथा प्रत्येक का बैंक में खाता खोला गया।

महिलाओं का आर्थिक रूप से मजबूती के लिए कामकाजी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना वैश्विक स्तर की मुख्यधारा के बाजारों में प्रवेश कराना है। महिलायें अर्थव्यवस्था में एक कामगर के रूप में, सेवा करने वाली के रूप में, वित्तीय जरूरत पूरी करने में, कर्ज देने और लेने के लिए, संपत्तियाँ तैयार करने में, संसाधन इकट्ठा करने, एक भौतिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहयोग दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, परिवाद, लघु व्यवसाय द्वारा आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने एवं देश के विकास में योगदान दे रहीं हैं।

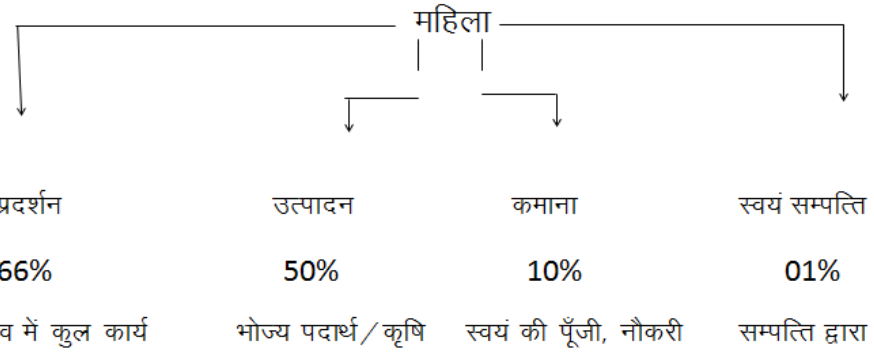

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार-

सशक्तिकरण एक समर्थकारी प्रक्रिया है। जब स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और वित्तीय सहित अन्य की हालत में सुधार होगा, तभी उन्हें सशक्त माना जायेगा। वर्ष १००४ में जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (छत्भ्ड) ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर बेहतर बुनियादी सुविधाओं दवाओं और उपकरणों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक संसाधन की उपलब्धता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सुधार किया है।

कुपोषण भारत की एक विषम समस्या है इसके निस्तारण के लिए समेकित बाल विकास योजना को सार्वभौमिक एवं सशक्त बनाया गया। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किये गये इसमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, जननी सुरक्षा योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी गर्भवती महिलाओं के सीजेरियन सहित मुफ्त एवं सस्ते प्रसव के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, माताओं और बच्चों के लिए जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड, तथा टीकाकरण आदि शामिल हैं।

सरकार एवं समाज की सहभागिता-

भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कस्तूरबा गाँधी विद्यालय योजना आदि की शुरुआत की गई है।

समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन हेतु ऐतिहासिक एवं वैदिक काल की स्थितियों को स्पष्ट किया जा रहा है जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हैं। मैत्रेयी, गार्गी, मदालसा, लोपामुद्रा, अनुसूया, जाबाली आदि विदूषी महिलाओं ने वैदिक साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है।

महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तता हेतु कई अधिनियम बनाये गये जिसमें घरेलू हिंसा (प्रतिशोध) अधिनियम १००४ इसके द्वारा महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा में कमी आई है। दहेज निवारक अधिनियम, नौकरी एवं व्यवसाय पाने का अधिकार एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति में अधिकार मिलना है। इस प्रकार कई स्तरों पर समाज ने महिलाओं की स्वतंत्रता को स्वीकार किया है तो वही सरकार भी कई तरह के प्रयास कर रही है। जिससे भारत एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। सरकारी सहभागिता जहाँ अपनी कानूनी प्रक्रिया द्वारा महिलाओं की स्थिति को मजबूत बना रही है। वह समाज की इस वास्तविकता को स्वीकार करने लगा है कि शिक्षित समर्थ एवं सशक्त महिला, लड़की से ही परिवार एवं समाज का विकास एवं निर्माण हो सकता है।

सुझाव-

- महिलाओं द्वारा की जाने वाली बच्चों और वृद्धों की देखभाल और घर काम को न सिर्फ मान्यता बल्कि उसका मौद्रिक प्रतिदिन भी किया जाए। इससे इन कार्यो में लगने वाले समय को आर्थिक मूल्यांकन होगा। इस प्रकार महिलाओं के काम मान्यता देना, काम की परिभाषा को व्यापक बनाना महिलाओं के काम को समझना उसका मूल्यांकन कराना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, शिक्षा का विकास करना चाहिए।
- शैक्षणिक प्रक्रिया द्वारा उन्हें स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने वाली, रचनात्मकता, आत्म सम्मान जाग्रत करने वाली प्रसन्नता एवं सशक्त बनाने वाली शिक्षा देनी चाहिये।
- महिलाओं को लम्बे समय से आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन माना गया है इस सोच से बाहर निकलना होगा तथा दुनिया को यह समझना होगा कि महिलाएँ पूरे विश्व के लिए एक अनमोल सम्पदा हैं जो केवल अच्छे-बुरे समय में तकलीफ झेलने के लिये नहीं बल्कि एक साथी हैं। महिलाओं के नेतृत्व को विश्वास, प्रोत्साहन को विकसित करना तथा समावेशी न्यायपूर्ण समाज का विकास करना है।
- महिलाओं को किसी भी समुदाय या अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक आधार माना जाए। उनके काम को बेहतर परिणाम दिये जाये तथा उनकी भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए। उन्हें मौद्रिक पुरस्कार मिलना तथा सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए।
- महिलाओं को सफल बनाने के लिए उचित नेतृत्व तथा आर्थिक सुधार के लिए मूलभूत रोजगार जैसे खाद्य, जल वस्त्र, आवास, प्राथमिका स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं प्राथमिक बैंको में सुधारों के केन्द्र में गरीब महिलाओं को रखा जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन सुविधाओं का विकास तथा कुपोषण, विद्यालयों में स्वच्छता तथा शौचालयों की स्थापना तथा स्वस्थ जीवनशैली के द्वारा प्रेरि करना है।
- सवित्री बाईफूले जो कि पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने पहला महिला स्कूल खोला ॅ७३७ में ऐसी महिलाओं के जीवन परिचय से समाज को परिचित कराना।

इसके अतिरिक्त-

१) समाज की सामाजिक आर्थिक दयनीय दशाओं का पता लगाना शैक्षिक कार्यक्रम का संचालन चाहे वो घरेलू हो या कामकाजी बाल श्रमिक हो या कम उम्र में विवाहित होना हो।
२) प्राथमिक/बुनियादी शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों का निर्माण किया जाना।
३) छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को अधिक से अधिक प्रभावी बनाना।
४) तकनीकी शिक्षा पर जोर देकर व्यवसाय की ओर प्रेरित करना।
५) संचार एवं तकनीकी द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए उसके अभिभावकों को जागरूक करना।
६) कौशल विकास योजना द्वारा हस्तशिल्प कार्य को प्रोत्साहन दिया जाना।

निष्कर्ष-

महिलाओं के सशक्तीकण की बात करते समय हमें महिलावादी चिंतन और विचारधारा समानता, न्याय, लोकतंत्र और निरंतरता के सिद्धान्तों के सशक्तीकरण के बारे में अवश्य चर्चा करनी चाहिये। महिला आंदोलन और सरकारों तथा सामाजिक संगठनों की कार्यवाहियों से उपजे दबाव के परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए सकारात्मक बदलाव हुए हैं।

महिलाओं के सशक्तीकरण करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को यह एहसास दिलाना होगा कि उनका शोषण हो रहा है और वह आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। और उन्हें ही अपने सशक्तीकरण के लिए खुद संघर्ष करना है और समाज की मुख्यधारा में शामिल होना है। कोई भी परिवर्तन होने में समय लगता है। परन्तु परिवर्तन की शुरुआत पहले अपने घर से करनी होगी। तभी समाज में परिवर्तन होगा और हमारी भागीदारी बढ़ेगी। जिससे सशकत महिला ही सशक्त भारत का विकास कर सकेगी।
महिलाएँ हमारे देश में जनसंख्या के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि उनकी प्रगति धीमी होगी तो समाज भी धीमा विकास करेगा।

संदर्भ सूची-

- एंटोनोपोलस, आर (१००८): द अनपेड केयर वर्क- पेड कनेक्शन (वर्किंग पेपर ७५) पॉलिसी इंटीग्रेशन एण्ड स्टैटिक्स डिपार्टमेन्ट अर्न्तराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, जिनेवा।
- भट्टाचार्य, ए (१०ॅ४) : केयर वर्क, कैपिलिस्ट स्ट्रक्चर एण्ड वाइलेंस अगेस्ट विमेनः नेशनल कन्वेशन ऑन एडवोकेसी फॉर केयर वर्क नई दिल्ली में प्रस्तुत पेपर।

- घोष, जे (१०ॉ४) : केयर इन दे नियो लिबरल इकनॉमिक मॉडल इंटरनेशनल पॉलिसीज एण्ड देयर इफेक्ट ऑन विमेन्स इन गर्ल्स अनपेड केयर-नेशनल कन्वेशन ऑन एडवोकेसी फॉर केयर वर्क नई दिल्ली में प्रस्तुत पेपर।
- जैन, देवकी (ॉ८७४) : द हाउस होल्ड ट्रेप : ट्रैनी ऑफ द हाउस होल्ड : इन्वेटीगेटिव एसेज ऑन विमेन्स वर्क में महिलाओं की गतिविधियों के पैट्रन पर की गयी फील्ड स्टडी जैन, डी और बैनर्जी एज. द्वारा सम्पादित, शक्ति बुक्स, विकास प्रकाशन हाउस, भारत।
- जैन, देवकी (ॉ८६८) : वैल्यूइंग वर्क : टाइम एस अ मेजर इक्नॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली वाल्यूम थर्ड, नम्बर ३२, १५ अक्टूबर ॉ८८५- और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट, इन्पैक्ट ऑफ विमेन्स वर्कस- महाराष्ट्री रोजगार गारण्टी योजना, आईएलओए जिनेवा द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन।
- जॉन-मैरी ई, व अन्य : परिवार नियोजन, लिंग योजना : राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के चुनिन्दा जिलों में प्रतिकूल बाल लिंगानुपात। (बुक्स फॉर चेन्ज १००७)
- इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन विमेन (आईसीआरडब्ल्यू) : क्वाटिटेटिव केस स्टडी : रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन जेन्डर, एजुकेशन एण्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स इन हरियाणा, दिल्ली, १०ॉ३ॉ
- शेखर, टी०वी० : लाडली एण्ड लक्ष्मीज इम्प्रशन्स आफ फिनांशियल इन्सेन्टिव स्कीम्स फॉर गर्ल, चाइल्ड इन इंडिया इकनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, ३६(२३) १०ॉ१
- यूएनवूमेनः सेक्स रेशियोज एंड जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्शन : हिस्ट्री डिबेट्सएंडफ्यूचर डाइरेक्शन (नई दिल्ली, यूएनवूमेन एंड यूएनएफपीए, १०ॉ४)
- राधा कुमार : द हिस्ट्री ऑफ डूइंग : एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेन्ट फॉर विमेन्स राइट्स, ॉ७००-ॉ८८०, दिल्ली : काली फॉन वूमेन- ॉ८८२
- मीरा कौशम्बी : क्रॉसिंग थेशोल्ड्स : फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री, दिल्ली : परमानेन्ट ब्लैक, १००६.

श्रीमती कीर्ति आनन्द
असिस्टेट प्रोफेसर, (समाजशास्त्र) प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय, जलालाबाद, शाहजहाँपुर.